POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 08.11.2023

1.थाना जारचा पुलिस द्वारा हत्या की घटना का 7 घंटे के अंदर सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 06/11/2023 को समय करीब सुबह 09:00 बजे थाना जारचा पर सूचना प्राप्त हुई कि प्यावली नहर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, शव के पास एक बिना नंबर की बुलेट मोटरसाइकिल भी पड़ी है। उपरोक्त सूचना पर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तथा बुलेट मोटरसाइकिल के चेचिस नंबर से मृतक की पहचान की गई। मृतक की पहचान आशुतोष चौहान पुत्र रविंद्र चौहान निवासी धूम मानिकपुर, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर के रूप में हुई। उक्त संबंध में मृतक की पत्नी द्वारा दिनांक 7/8/.11.2023 की रात्रि में अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत कराई गई।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 08/11/2023 को थाना जारचा पर वादिया मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 209/ 2023 धारा 302/201 आईपीसी बनाम अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधिकारियों द्वारा थाना जारचा की तीन टीमें लगाई गई थी, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में सीसीटीवी फुटेज की मदद से महज 07 घंटे के अंदर घटना में शामिल 04 अभियुक्तों 1.राहुल पुत्र रविंद्र चौहान 2.दीपक उर्फ विपिन पुत्र राजेंद्र सिंह 3.सुमित उर्फ बंटी 4.निशु पुत्र रामवीर को रानौली गेट से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल व मृतक का मोबाइल फोन आदि बरामद हुए है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व सीसीटीवी की मदद से घटना में मृतक के छोटे भाई राहुल व उसके तीन साथियों का शामिल होना पाया गया जिन्हे गोपनीय सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर मृतक के भाई राहुल ने बताया कि उसका भाई मृतक आशुतोष प्रतिदिन घर पर शराब पीकर आता था दिनांक 5/11/2023 को भी शाम को 6ः:00 बजे शराब पीकर आया था और मारपीट कर उसे व उसकी माँ मीना देवी को घर से बाहर निकाल दिया था। रोज-रोज के झगड़े से परेशान होकर राहुल ने अपने तीन दोस्तों दीपक, बंटी व निशु को फोन कर बुलाया तथा अपने भाई को मारने की योजना बनाई तथा बाइपास दादरी के पास कच्ची कॉलोनी में ले जाकर पहले अपने दोस्तों के साथ अपने भाई को शराब पिलवाई उसके बाद गमछे से उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी तथा अपने भाई के शव को उसी की मोटरसाइकिल पर रखकर साक्ष्य छिपाने के आशय से मोटरसाइकिल सहित प्यावली नहर में फेंक दिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. राहुल पुत्र रविंद्र चौहान निवासी धूम मानिकपुर बोर्ड बस्ती, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 23 वर्ष।
2. दीपक उर्फ विपिन पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी धूम मानिकपुर भूड बस्ती, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 26 वर्ष।
3. सुमित उर्फ बंटी निवासी बृजमोहन निवासी बिसाडा, थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 28 वर्ष।
4. निशु पुत्र रामवीर निवासी धूमखेड़ा थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 24 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 209/2023 धारा 302/201 भादवि थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. आलाकत्ल घटना में प्रयुक्त गमछा

2.थाना सेक्टर-126 पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर आगामी त्यौहारों में चोरी/लूट की घटना करने की फिराक में घूम रहे 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल व 01 अवैध चाकू बरामद।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 08.11.2023 को थाना सेक्टर-126 नोएडा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर आगामी त्यौहारों में चोरी/लूट की घटना करने की फिराक में घूम रहे 02 शातिर अभियुक्त 1.विवेक शर्मा पुत्र पिकेश शर्मा 2.दिनेश पुत्र सुरेश चन्द शर्मा को थाना क्षेत्र के रायपुर पुश्ता कट के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 01 चोरी की मोटरसाइकिल मय फर्जी नंबर प्लेट व 01 अवैध चाकू बरामद किया गया है। अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि आगामी दिवाली का त्यौहार होने के कारण यहाँ बाजार से भीड़भाड़ आयेगी और हम उनसे मोबाइल, पर्स आदि छीनकर भाग जायेंगे। यदि कोई विरोध करेगा तो उस पर चाकू से डरा धमकाकर भाग जायेंगे इसलिये अपने पास चाकू रखा है। आज भी हम लूट/चोरी करने के उद्देश्य से बाजार में जा रहे थे। घटना करने के लिये हम चोरी की मोटरसाइकिल का प्रयोग करते है और उसपर फर्जी नंबर प्लेट लगाते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. विवेक शर्मा पुत्र पिकेश शर्मा निवासी ग्राम ढिप्पा, थाना जैथरा, जिला एटा उम्र करीब 22 वर्ष।
2. 2 दिनेश पुत्र सुरेश चन्द शर्मा निवासी ग्राम भानपुर, थाना सौरिख जिला कन्नौज, वर्तमान पता अवनीश का मकान, ग्राम बख्तावरपुर, सेक्टर-127, गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 207/23 धारा 420/411/482 भा.द.वि. थाना सेक्टर-126, नोएडा।

बरामदगी का विवरण--

1. 01 मोटरसाइकिल चोरी की होन्डा शाइन नं0-फर्जी नंबर डीएल 4 एस.सी.पी 5619
2. 01 अवैध चाकू

3.थाना कासना पुलिस द्वारा कम्पनी में चोरी करने वाले 03 चोर गिरफ्तार, कब्जे से 01 टूटी हुई तिजौरी, चोरी के 06 लैपटॉप, 05 मॉनिटर मय कीबोर्ड, 01 एलईडी टीवी व 12,100 रूपये बरामद।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 08.11.2023 को वादी (अकाउंट मैनेजर शीहोन ली कम्पनी, इकोटेक-1 एक्टे0, प्लाट नम्बर-10 थाना कासना, गौतमबुद्धनगर) द्वारा थाना कासना पर आकर अज्ञात चोरों द्वारा वादी की कंपनी की तिजोरी जिसमें करीब 21,000 रुपये तथा पाँच मोनिटर, 05 कीबोर्ड, 06 लैपटॉप थे और एक एलईडी को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया। वादी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 258/2023 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- थाना कासना पुलिस द्वारा **दिनांक 08.11.2023** को इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व तकनीकी साक्ष्यों की सहायता से मु0अ0सं0 258/2023 धारा 380 भादवि का सफल अनावरण करते हुये कम्पनी के चोरी हुए माल के साथ अभियुक्त 1.आकाश पुत्र धर्मपाल सिंह 2.विकास कुमार पुत्र सतीश 3.योगेन्द्र कुमार पुत्र वेद प्रकाश को थाना क्षेत्र के BSM कम्पनी के सामने से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त आकाश के कब्जे से 03 लैपटॉप व 12,100 रूपये नगद बरामद हुए, अभियुक्त विकास कुमार पुत्र सतीश के कब्जे से 03 लैपटॉप बरामद हुए तथा अभियुक्त योगेन्द्र कुमार पुत्र वेद प्रकाश के कब्जे से एक एलईडी 32 इंच एलजी कम्पनी, एक तिजोरी खाली व टूटी हुई तथा 05 मॉनिटर स्क्रीन तथा 05 कीबोर्ड बरामद हुए है। बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 411/34 भादवि की वृद्धि की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. आकाश पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी गांव उधमपुरा, थाना बढ़पुरा, जनपद इटावा, वर्तमान पता- गांव सिरसा, थाना कासना, गौतमबुद्धनगर उम्र 22 वर्ष।
2. विकास कुमार पुत्र सतीश निवासी गाँव बिहारीपुर, थाना अहरेरा, जिला अमरोहा वर्तमान पता ग्राम सिरसा, थाना कासना, गौतमबुद्धनगर उम्र 18 वर्ष।
3. योगेन्द्र कुमार पुत्र वेद प्रकाश निवासी गाँव बैर, थाना ककोड़ जिला बुलन्दशहर उम्र 26 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0-258/2023 धारा 380/411/34 भादवि थाना कासना, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0-207/2023 धारा-380 भादवि थाना कासना, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 06 लैपटॉप
2. 01 टूटी हुई तिजौरी
3. 05 मॉनिटर मय कीबोर्ड
4. एलईडी टीवी
5. 12,100 रूपये बरामद

4.थाना सेक्टर-113 नोएडा पुलिस द्वारा, नोएडा/एनसीआर क्षेत्र में कारो के शीशे तोड़कर लैपटॉप व अन्य कीमती सामान चोरी करने वाले संगठित ठक-ठक गैंग के दो शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से नोएडा के विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी किये गये 21 लैपटॉप, 03 लैपटॉप चार्जर, 01 चोरी का आईकार्ड, चोरी की घटना मे प्रयुक्त 02 गुलेल मय गुलेल मे प्रयोग की जाने वाली 09 स्टील की गोलियां व 01 मोटर साइकिल बरामद।

घटनाक्रम का विवरण-- थाना सेक्टर-113 नोएडा क्षेत्र के अंतर्गत 06 मुकदमा वादियों द्वारा विभिन्न दिनांको में थाना सेक्टर-113 पर उपस्थित आकर सूचनाएं दी कि उनकी सड़क किनारे खडी कारो के शीशे तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा उनकी कारो से लैपटॉप चोरी किये गये है। जिनके संबंध मे थाना सेक्टर-113 पर 1.मु0अ0सं0-276/2023 धारा 379, 427 भादवि 2.मु0अ0सं0-342/2023 धारा 379 भादवि 3.मु0अ0सं0-401/2023 धारा 379, 427 भादवि 4.मु0अ0सं0- 440/2023 धारा 379, 427 भादवि 5.मु0अ0सं0-449/2023 धारा 379 भादवि व 6.मु0अ0सं0-455/2023 धारा 379 भादवि पंजीकृत हुए थे।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 08.11.2023 को थाना सेक्टर-113 पुलिस द्वारा एफएनजी रोड पर रात्रि के समय चेकिंग के दौरान अभियुक्त 1.पप्पू यादव पुत्र सुनील यादव 2.बिट्टू कुमार उर्फ मानव पुत्र साधूलाल को **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से घटनाओं में प्रयुक्त मोटरसाइकिल टीवीएस रजि0 नं0 DL 3 SCN 2231, 02 बैग व 01 गत्ते की पेटी से कुल चोरी की विभिन्न घटनाओं से संबंधित 21 लैपटॉप, तीन लैपटाप चार्जर, चोरी का आईकार्ड, घटना में प्रयुक्त दो गुलेल व गुलेल में प्रयोग की जाने वाली 09 स्टील की गोलियां बरामद हुई है। बरामद हुए लैपटॉप थाना सेक्टर-113 पर पंजीकृत 1.मु0अ0सं0-276/2023 धारा 379, 427 भादवि 2.मु0अ0सं0-342/2023 धारा 379 भादवि 3.मु0अ0सं0-401/2023 धारा 379, 427 भादवि 4.मु0अ0सं0- 440/2023 धारा 379, 427 भादवि 5.मु0अ0सं0-449/2023 धारा 379 भादवि व 6.मु0अ0सं0-455/2023 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित है। अभियुक्तों से की गई पूछताछ से थाना सेक्टर-58 नोएडा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-382/2023 धारा 379 भादवि 2.मु0अ0सं0-303/2023 धारा 379, 427 भादवि 3.मु0अ0सं0-394/2023 धारा 379, 427 भादवि और थाना सेक्टर-49 नोएडा पर पंजीकृत 1.मु0अ0सं0-397/2023 धारा 379 भादवि 2.मु0अ0सं0-457/2023 धारा 379 भादवि0 से सम्बन्धित कारो से लैपटॉप चोरी की घटनाओ का भी अनावरण हुआ है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्तों से की गयी पूछताछ में पाया गया कि दोनो अभियुक्त कारो का शीशा तोड़कर कीमती सामान व लैपटॉप चोरी करने वाले गैंग के सक्रिय सदस्य है, जिनके द्वारा थाना क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर कारो के शीशे तोड़कर लैपटॉप चोरी किये जाने की उपरोक्त 06 घटनाओं का अनावरण हुआ है एवं चोरी की घटनाओं से संबंधित लैपटॉप, चार्जर, आईकार्ड, बरामद हुए है। इसके अलावा थाना क्षेत्र सेक्टर-49 नोएडा में पंजीकृत 02 अभियोगो से संबंधित व थाना सेक्टर 58 नोएडा में पंजीकृत 3 अभियोगो से संबंधित घटनाओं का इकबाल किया गया है जिनमें चोरी किये गये लैपटॉपो को अभियुक्तों द्वारा बेच दिया जाना बताया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. पप्पू यादव पुत्र सुनील यादव निवासी ग्राम ओलीपुर, थाना जरसैन, जिला मधुबनी, बिहार वर्तमान निवासी म0नं0-520, गली नं0-6, ई-ब्लाक संगम विहार, थाना संगम विहार, दिल्ली उम्र 19 वर्ष।
2. बिट्टू कुमार उर्फ मानव पुत्र साधूलाल निवासी मकान नंबर 704, गली नंबर 7 सी, ई- ब्लाक संगम विहार, थाना संगम विहार, दिल्ली उम्र 27 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0-276/2023 धारा 379, 427,411 भादवि थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0-342/2023 धारा 379, 427,411 भादवि थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0-401/2023 धारा 379, 427,411 भादवि थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0-440/2023 धारा 379, 427,411 भादवि थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0-449/2023 धारा 379, 427,411 भादवि थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर।
6. मु0अ0सं0-455/2023 धारा 379, 427,411,414,34 भादवि थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0सं0-382/2023 धारा 379 भादवि थाना सेक्टर-58, गौतमबुद्धनगर।
8. मु0अ0सं0-303/2023 धारा 379, 427 भादवि थाना सेक्टर-58, गौतमबुद्धनगर।
9. मु0अ0सं0-394/2023 धारा 379, 427 भादवि थाना सेक्टर-58, गौतमबुद्धनगर।
10. मु0अ0सं0-397/2023 धारा 379 भादवि थाना सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर।
11. मु0अ0सं0-457/2023 धारा 379 भादवि थाना सेक्टर-58, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. चोरी की विभिन्न घटनाओं से संबंधित 21 लैपटॉप।
2. चोरी की विभिन्न घटनाओं से संबंधित 03 लैपटॉप चार्जर।
3. चोरी का 01 आईकार्ड।
4. घटना में प्रयुक्त 02 गुलेल व 09 गुलेल में प्रयोग की जाने वाली स्टील की गोलियां।
5. घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल